

कैम्प दाखिल खारिज बाद सं०.....

719/113-14

कार्यालय अंचलाधिकारी, पटना सदर (पटना)

आज दिनांक को ग्राम हल्दा-कचरी में आयोजित कैम्प में

श्री श्री कमलजीत कौर

ग्राम कुरीया थाना जैठ जिला पटना

बसीका नं० 49 दिनांक 05/09/1985 के द्वारा निर्माकित जमीन का दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है ।

जमीन का विवस्थ

माँजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान
<u>किलेदारी</u>	<u>18</u>	<u>459</u>	<u>1877</u>	<u>5341</u>	<u>4000</u>
		<u>"</u>	<u>1875</u>	<u>कुरीया</u>	

07/06/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी । जांच प्रतिवेदन अधिलेख में संलग्न है । उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशंसा किए हैं । कैम्प में उपस्थित व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है ।

शुद्धि पत्र निर्गत करें ।

लेखापति MLB
अंचलाधिकारी, पटना सदर

प्रमाणित प्रतिक्रिया निर्देश
विपणन नं०.....

MLB
अंचलाधिकारी, पटना सदर